भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

(3)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर, (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका क्र: R - 3771-PBR/14

श्रवण तिथि:

1\. हिकमतउल्ला पिता अजीजउल्ला निवासी मोहल्ला खानका शहर तह. व जिला बुरहानपुर म.प्र. --याचिकाकर्ता

वि.

1\. मोतीउल्ला पिता हमीदउल्ला

2\. [redacted] हशमतउल्ला पिता हमीदउल्ला

3\. बरकतउल्ला पिता हमीदउल्ला

4\. इनायतउल्ला पिता हमीदउल्ला

5\. शफीउल्ला पिता हमीदउल्ला

सभी निवासी मोहल्ला खानका शहर तह. व जिला बुरहानपुर म.प्र.

-- प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षण याचिका म.प्र.भू.रा.संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत

यह कि याचिकाकर्तागण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय खकनार जिला बुरहानपुर के न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्र-5-अ/70-2013-14 पक्ष मोतीउल्ला विरुद्ध शफीउल्ला के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 20.6.2014 से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य//

1\. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी क्र-1 द्वारा याचिकाकर्ता सहित प्रत्यर्थी क्र-2 से लगायत 5 के विरुद्ध एक प्रकरण धारा 250 म.प्र.भू.रा.संहिता का प्रस्तुत किया गया है जिसका रा.प्र.क्र: 05-अ-70/2013-14 है।

2\. यह कि उक्त प्रकरण में याचिकाकर्ता को नोटिस प्राप्त होने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – बुरहानपुर

निग0 3771–पीबीआर / 2014

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–12–2014	आवेदक की ओर से श्री जीतेन्द्र बुगीवाला एवं श्री टी0टी0 गुप्ता अभिभाषक उपस्थित नहीं। एक अन्य अभिभाषक श्री लोकेशं दीक्षित द्वारा स्वयं को उक्त अभिभाषकों का जूनियर बताते हुये ग्राह्यता पर तर्क हेतु पुनः समय की मांग की गई, परन्तु समय लेने का कोई कारण नहीं बताया गया। याचिकाकर्ता अभिभाषक को विगत पेशी पर ग्राह्यता पर तर्क हेतु समय दिया गया था, परन्तु आज दिनांक को तर्क हेतु उपस्थित नहीं एवं न ही उनके द्वारा अनुपस्थिति का कोई आधार बताया है। इससे प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता इस प्रकरण की सुनवाई हेतु गंभीर नहीं है। अतः अब तर्क हेतु समय नहीं देते हुये निगरानी मेमो एवं प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार प्रकरण के ग्राह्यता पर विचार किया जा रहा है। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में अनावेदक द्वारा आवेदक के विरूद्ध धारा 250 के अन्तर्गत तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश किया गया, जिसमें आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष धारा 52 का आवेदन पेश किया गया, जिसपर तहसील न्यायालय द्वारा दोनों	

	पक्षों को सुनवाई के पश्चात आवेदक का धारा 52 का आवेदन निरस्त कर प्रकरण आवेदक के जबाव हेतु नियत किया गया है। तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रकरण आवेदक के तर्क हेतु नियत किया है, जहां उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में निगरानी को ग्राह्य किये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डा0 मधु खरे) सदस्य	